प्रकरण आज दिनांक 12.11.2022 को नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कं.–2 हरसूद के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री अनिल चौहान उपस्थित ।

अभियुक्तगण राजेश खरे व रीना खरे द्वारा अधिवक्ता श्री मुकेश राठौड प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण अवलोकन से फरियादी क्षमा खरे द्वारा दिनांक 19.10.2022 उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया।

एवं फरियादी क्षमा खरे से दिनांक 19.10.2022 को उभयपक्ष द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया है।

प्रकरण अवलोकन से स्पष्ट है कि, फरियादी/आहत क्षमा खरे द्वारा दिनांक 19.10.2022 को आवेदन अंतर्गत धारा 320(1) व 320(2) दप्रसं का प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण राजेश खरे व रीना खरे के विरूद्ध धारा 294, 323,34 506, भाग–दो भादसं के आलोक में संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र एवं उसके साथ सलग्न दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण राजेश व रीना के विरूद्ध धारा 294, 323,34 506 भाग–दो भादसं का अपराध का अभियोग है।

फरियादीगण एवं अभियुक्तगण राजेश व रीना की ओर से संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित अंतर्गत धारा 320(1) व 320(2) द.प्र.सं. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनका आपस से राजीनामा हो चुका है और मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं। इस कारण वे प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

राजेश

रीना

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signat Partie Pleaders neces

अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि, अभियुक्तगण राजेश व रीना के विरूद्ध धारा 294, 323/34 506 भाग–दो भादसं के अपराध का विचारण किया जा रहा है। उक्त अपराध शमनीय प्रकृति का है अतः न्यायालय द्वारा राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शेष धारा 294 भादसं शमनीय होकर मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 7.7.2022 के अनुसार राजनीमा योग्य है एवं न्यायालय द्वारा राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः विचारोपरांत प्रस्तुत राजीनामा आवेदन में 320(2) दंप्रसं का आवेदन स्वीकार किया गया। उक्त शमन के आलोक में अभियुक्तगण राजेश खरे व रीना खरे को धारा 294, 323/34 506 भाग–दो भादसं में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण राजेश खरे व रीना खरे की जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक अरकाट की लकडी मूल्यहीन होने से अपील ना होने की दशा मे अपील अवधि पश्चात नष्ट कि जावे और अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश अनुसार निराकरण किया जावें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण विहित अवधि में अभिलेखागार दाखिल किये जाने हेतु प्रकरण संबंधित न्यायालय को लौटाया जावे।

12.11.2022

(.....)
सदस्य
श्री अर्जुन यादव
नेशनल लोक अदालत

(.....)
सदस्य
श्री निखिल गौतम
नेशनल लोक अदाल

(.....)
अध्यक्ष
जय प्रताप चिडार